

(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEVELOPMENT DEPARTMENT)
DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING
49, SHAM NATH MARG, DELHI-110 054

Dated: the...12/6/2014

NOTIFICATION

No. F.8/8/2004/DAM/MR/ 864 . - In exercise of the powers conferred by section 20 and clause (c) of sub-section (2) of section 117 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998, the Delhi Agricultural Marketing Board, with the previous approval of the Lt. Governor, Delhi, hereby makes the following Regulations to amend the Delhi Agricultural Marketing Board, (Delegation of Duties and Powers) Regulation, 2004, namely:-

REGULATIONS

1. Short title and commencement:- (1) These Regulations may be called the Delhi Agricultural Marketing Board (Delegation of Duties and Powers) (Amendment) Regulations, 2014.
(2) They shall come into force at once.
2. In the Delhi Agricultural Marketing Board (Delegation of Duties and Powers) Regulation, 2004 for the words and figures "Rs.30.00 lacs (Rupees thirty lacs)", the words and figures "Rs.2.00 crores (Rs. Two crores)" shall be substituted.

By order and in the name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,


(V. P. RAO) 12.06.2014

SPECIAL SECRETARY (DEVELOPMENT)
GOVT. OF NCT OF DELHI

No. F.8/8/2004/DAM/MR/ 865-877

Dated: 12/6/2014

Copy to:-

1. The Secretary, Ministry of Agriculture, Govt. of India, New Delhi
2. The Agricultural Marketing Advisor to the Govt. of India, Dte. of Marketing & Inspection, NH-IV, Faridabad.
3. The Principal Secretary to Lt. Governor, Delhi
4. The Staff Officer to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
5. The Development Commissioner, Govt. of NCT of Delhi, 5/9 Under Hill Road, Delhi
6. The Chairman/Vice-Chairman/All Members of Delhi Agricultural Marketing Board, New Delhi through Secretary Delhi Agricultural Marketing Board.
7. The Dy. Secretary (GAD), General Administration Deptt. Govt. of NCT of Delhi with the request that the notification may be published in Delhi Extra Ordinary Gazette, Part-IV and copies of the same may be arranged for this office (two copies).
8. Agricultural Produce Marketing Committee, MNI, Azadpur, Narela, Najafgarh, Keshopur and Shahdara (Fruit & Vegetable Market Gazipur), Delhi/New Delhi and Fish, Poultry & Egg Marketing Committee, Gazipur, Delhi, Khoya/Mawa Marketing Committee, Delhi and Flower Marketing Committee, Delhi.
9. The Dy. Secretary, Law Department, Govt. of NCT of Delhi.
10. The Hindi Officer, Language Department, Govt. of NCT of Delhi
11. The Director, Directorate of Information & Publicity, Govt. of NCT of Delhi.
12. All the Members of the concerned Marketing Committee through Secretary of the concerned Marketing Committee.
13. Guard file.

(V. P. RAO)

SPECIAL SECRETARY (DEVELOPMENT)
GOVT. OF NCT OF DELHI

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग-4 में प्रकाशनार्थ)
कृषि विपणन निदेशालय
(विकास विभाग)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
49 शामनाथ मार्ग, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

दिनांक : 12/6/2014

अधिसूचना

सं0फा0 8/8/2004/डीएम/एमआर/864 .-दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन (विनियम) अधिनियम, 1998 की धारा 20 तथा 117 की उपधारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड, उपराज्यपाल, दिल्ली के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड (कर्तव्यों और शक्तियों का प्रत्यायोजन) विनियम, 2004 में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :-

विनियम

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-
 - (1) इन विनियमों को दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड (कर्तव्यों और शक्तियों का प्रत्यायोजन) (संशोधन), विनियम, 2014 कहा जाए।
 - (2) ये तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।
2. दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड (कर्तव्यों और शक्तियों का प्रत्यायोजन) विनियम, 2004 में "30.00 लाख (तीस लाख रुपये)" शब्दों और अंकों के स्थान पर "2.00 करोड़ (दो करोड़ रुपये)" शब्दों और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाए।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

(वी. पी. राव)

विशेष सचिव (विकास)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

सं0फा0 8/8/2004/डीएम/एमआर/ 865-877

दिनांक : 12/6/2014

प्रतिलिपि:-

1	सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2	कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, एन.एच.4, फरीदाबाद (हरियाणा)।
3	प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।
4	प्रधान सचिव (विकास), दिल्ली सरकार, 5/9, अण्डरहिल रोड, दिल्ली।
5	स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
6	अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभी सदस्य, दिल्ली कृषि विपणन परिषद, सचिव, दिल्ली कृषि विपणन परिषद के माध्यम से।
7	उप-सचिव (सा.प्र.वि.), सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्दप्रस्थ इस्टेट, इस अनुरोध के साथ कि अधिसूचना दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग-4 में प्रकाशित की जाए और इस कार्यालय के लिये इसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए (दो प्रति)।
8	कृषि उत्पाद विपणन समिति (राष्ट्रीय महत्व की मंडी), आजादपुर, नरेला, नजफगढ़, केशोपुर और शाहदरा (फल व सब्जी मण्डी गाजीपुर), दिल्ली/नई दिल्ली और मछली, मुर्गा एवम् अण्डा विपणन समिति, गाजीपुर, दिल्ली, खोया/मावा विपणन समिति, दिल्ली एवम् पुष्प विपणन समिति, दिल्ली।
9	उप-सचिव, विधि विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
10	हिन्दी अधिकारी, भाषा विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
11	निदेशक, सूचना एवम् प्रचार निदेशालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
12	संबन्धित विपणन समिति के सभी सदस्यों को सम्बन्धित विपणन समिति के सचिव के माध्यम से।
13	गार्ड फाईल।

(वी. पी. राव)

विशेष सचिव (विकास)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार